संख्या-8/2016/18/1/2008टी.सी./का-2/2016

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2016

विषय :- "उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993" संशोधन अधिनियम, 1999 के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर अनुमन्य आरक्षण का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/टी.सी.-1999 दिनांक 09 सितम्बर, 1999 के माध्यम से प्रेषित "उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999" अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरिसंदर्भित अधिनियम के माध्य से समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णत: अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2016/18/1/2008टी.सी./का-2/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
4) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
5) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
6) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
7) समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।